न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 1802/2017 (2017/)

देवीलाल पुत्र मदन जाति नाई निवासी ग्राम गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
———वादी

♠बनाम♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
—— प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियमवधारा 136 भू राजस्व अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 07.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर कैम्प गुलगांव में पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियम वधारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नप्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
256–226	1613/3073	0.49	बारानी 2
	किता 1	रकबा 0.49 हैक्टर	

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार वादी को आवंटन की गई आराजी खसरा नम्बर 876/1 है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1608 है। उक्त वर्णित आराजी वादी को दिनांक 24.06. 1987 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत गुलगांव में वादी के नाम आराजी खसरा नम्बर पुराने 876/1 में से 3 बीघा जमीन आवंटन की गई थी। आवंटन दिनांक को वादी ने अपने आवंटनशुदा जमीन का कब्जा हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा बताए गए चिन्हित स्थान पर बताकर वादी को आराजी का कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा कब्जा सुपुर्दगी के पश्चात वादी ने वाद वर्णित आराजी को काफी रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया। कब्जा सुपुर्दगी की दिनांक से ही वाद वर्णित आराजी पर एक मात्र कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य वादी का ही चला आ रहा है जिसका हाल खसरा नम्बर 1608 है एवं खाता संख्या 1 का भाग है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1608 पर ही वादी को अपनी आवंटनशुदा आराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया था, लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 1631/3073 वादी के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज है, जबकि आवंटन दिनांक पर वादी को कब्जा हाल खसरा नम्बर 1608 के भाग पर सुपुर्द किया गया था। आज भी वादी का कब्जा हाल आराजी खसरा नम्बर 1608 पर ही कब्जा सुपुर्दगी के अनुसार है लेकिन खसरा नम्बर 1608 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज होने से प्रतिवादी वादी को उसकी कब्जे काश्तशुदा आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी करने पर पता चला कि आवंटन दिनांक को वादी को जहां कब्जा सुपुर्द किया गया था वह आराजी खसरा नम्बर 1608 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा आराजी खसरा नम्बर 1631/3073 बतौर खातेदार दर्ज है जिसे दुरूस्त करने हेतु यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1631/3073 में से वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर आवंटन दिनांक को सुपुर्द किये गये कब्जे के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1608 में से वादी के कब्जे अनुसार रकबा 0.49 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जाने तथा हाल

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 1631/3073 रकबा 0.49 हैक्टर को राज हक में लिया जाकर सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दौराने केम्प मौके पर उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/जवाब दावा पेश किया गया जिसके अनुसार वादी खसरा नम्बर 1608 पर काबिज है। खसरा नम्बर 1613/3073 में रकबा 0.49 हैक्टर पर काबिज नही है। उक्त दोनो नवीन नम्बर 876/1 से ही बने है। ग्राम गुलगांव के आराजी खसरा नम्बर 1608 रकबा 16.60 हैक्टर में से रकबा 0.49 हैक्टर खातेदार देवी पुत्र मदन लाल नाई के नाम दर्ज किया जाने तथा खसरा नम्बर 1613/3073 रकबा 0.49 हैक्टर को सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु संलग्न नक्शे अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन/तरमीम को दुरूस्त कर आराजी खसरा नम्बर 1608 में से रकबा 0.49 हैक्टर पर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है/प्रस्तावित किया है जिससे अब प्रकरण में शहादत वादी, शहादत प्रतिवादी, तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रही है। अतः आज दौराने केम्प उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जवाब दावा मय प्रस्तावित नक्शा, का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। अतः वादी का वादपंत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार ग्राम गुलगांव के वर्तमान खसरा नम्बर 1608 रकबा 16.60 हैक्टर में से रकबा 0.49 हैक्टर पर वादी का नाम दर्ज किये जाने एवं वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1613/3073 रकबा 0.49 हैक्टर को सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खसरा नम्बर 1608 में रकबा 0.49 हैक्टर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प गुलगांव में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

देवीलाल पुत्र मंदन जाति नाई निवासी ग्राम गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
———वादी

♠बनाम♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
—— प्रतिवादी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियमवधारा 133 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बरः–राजस्व वाद 1802/2017 (2017/ .)
निर्णय दिनांकः–07.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी वादी स्वयं व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार ग्राम गुलगांव के वर्तमान खसरा नम्बर 1608 रकबा 16.60 हैक्टर में से रकबा 0.49 हैक्टर पर वादी का नाम दर्ज किये जाने एवं वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1613/3073 रकबा 0.49 हैक्टर को सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खसरा नम्बर 1608 में रकबा 0.49 हैक्टर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपनां–अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..बाबत.................................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.06.2023 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टांम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा	————	————
मुतफरिक	————	————	मुतफरिक	0	0
मीजान	0	0	मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner